कार्यकारी सारांश

बच्चों की भलाई के प्रति सामाजिक महत्व और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी कि क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकारों और हकों को सुनिश्चित करने के लिए किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015; मॉडल नियम, 2016 और संशोधित एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस), 2014 के अनुसार पर्याप्त उपाय किए हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा में 2018-19 से 2020-2021 तक तीन वर्ष की अवधि सम्मिलित है। लेखापरीक्षा ने महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी), दिल्ली राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (डीएससीपीएस), राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी (एसएआरए), बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), ज़िला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) और बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) के अभिलेखों की नमूना जांच की।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- एकीकृत बाल संरक्षण योजना के माध्यम से ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रयास अधिकांश क्षेत्रों में कम और धीमे थे। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या का आकलन और पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था, जैसे कि बिना घर वाले, भीख मांगते हुए पाए गए, सड़क पर रहने वाले, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग, अनाथ, तस्करी या यौन शोषित बच्चे आदि। संबंधित डेटा के अभाव में दिल्ली में देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कोई ठोस योजना तैयार नहीं की जा सकी और न ही पर्याप्त संसाधन आवंटित किए जा सके तथा उनके प्रयास केवल उन असुरक्षित बच्चों की देखभाल प्रदान करने तक सीमित थे जो चिंतित नागरिकों, पुलिस, गैर सरकारी संगठनों आदि द्वारा उनके पास लाए गए थे। डीएससीपीएस, जो एकीकृत बाल संरक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष निकाय है, आवश्यक प्रोत्साहन और नेतृत्व प्रदान करने में विफल रहा क्योंकि इसकी शासी निकाय और कार्यकारी समिति निष्क्रिय थी। एकीकृत बाल संरक्षण

योजना के कार्यान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, बाल कल्याण समितियों और ज़िला बाल संरक्षण इकाइयों जैसे संस्थानों के गठन में देरी हुई।

- 2018-19 से 2020-21 के दौरान, बच्चों की देखभाल गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण आयोजित करने, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों को रहने योग्य स्थिति में सुधार आदि को निष्पादित नहीं करने के कारण बजट में अव्ययित शेष देखे गए थे। रा.रा.क्षे.दि.स. एनजीओ द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों को धन प्रदान करने में देरी सहित समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में विफल रहा। रा.रा.क्षे.दि.स. एकीकृत बाल संरक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुदानों में बढ़े हुए केन्द्रीय हिस्से का लाभ उठाने में भी विफल रहा।
- बाल कल्याण समितियाँ (सीडब्ल्यूसी), जो ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उचित पुनर्वास या बहाली सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, ने उनकी देखभाल और सुरक्षा के संबंध में आदेश जारी करने के बाद उनके सामने पेश किए गए बच्चों की प्रगति और पालन सुनिश्चित नहीं किया। बाल कल्याण समितियाँ पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए अपने आदेशों को नामित पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रही थीं। उन्होंने फेशियल रिकॉग्नीशन सिस्टम पर बरामद बच्चों की तस्वीरें भी अपलोड नहीं की ताकि लापता बच्चों के विवरण के साथ मिलान किया जा सके, जो माता-पिता और बच्चों के लिए अलगाव के आघात को कम करने हेतु चिंता की कमी को दर्शाता है।
- बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) बिना पंजीकरण के काम कर रहे थे, दिल्ली राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी द्वारा सीसीआई के पंजीकरण और नवीनीकरण एवं अपंजीकृत सीसीआई के खिलाफ कार्रवाई करने में अनुचित देरी हुई थी, जिससे उन्हें आवश्यकत सुविधाओं के बिना काम करने और बच्चों को अनुपयुक्त परिस्थितियों में दिखाने की इज़ाजत दी गई। सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों में विशेष रूप से परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी, परामर्शदाता और शिक्षकों के महत्वपूर्ण

पदों पर कर्मचारियों की भारी कमी (76 *प्रतिशत* तक) थी, जिससे बच्चों की गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने की उनकी क्षमता से गंभीर रूप से समझौता हुआ। बाल देखभाल संस्थान अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं, अपर्याप्त पोषण, बच्चों को प्रदान किए जाने वाले कपड़े, बिस्तर और प्रसाधन सामग्री, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं और बच्चों को औपचारिक शिक्षा की महत्वपूर्ण कमी से भी ग्रस्त थे क्योंकि केवल 54 *प्रतिशत* औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इसी तरह की कमियां आफ्टर केयर होम्स में भी देखी गईं, जहां उन बच्चों की दो और वर्षों के लिए देखभाल की जाती है, जिन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सीसीआई छोड़ना पड़ता है ताकि समाज में उनका पुन: एकीकरण हो सके।

- बाल संरक्षण के लिए योजना के कार्यान्वयन की निगरानी में कई प्रकार की कमी थी। ज़िला बाल संरक्षण इकाइयों को बाल संरक्षण गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए गृह अधीक्षकों, गैर सरकारी संगठनों आदि जैसे हितधारकों और स्वास्थ्य, श्रम विभागों और पुलिस के प्रतिनिधियों के साथ ज़िला स्तर पर त्रैमासिक बैठकें आयोजित करनी थीं लेकिन ऐसी बैठकें या तो आयोजित नहीं की गई थीं या समय अंतराल के साथ आयोजित की गई। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार बाल देखभाल संस्थानों का निरीक्षण भी नहीं किया और जहां निरीक्षण किया गया, वहां यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई कि बताई गई कमियों को दूर कर लिया गया। दिल्ली स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी (डीएससीपीएस) को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सोसायटी द्वारा ऐसी कोई तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। नियमित बैठक और निरीक्षण के अभाव में आईसीपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन से समझौता किया गया।

- सीसीआई के माध्यम से संस्थागत देखभाल के अलावा, इन बच्चों को गोद लेने, पालक देखभाल और प्रायोजन के तहत गैर-संस्थागत देखभाल के माध्यम से बच्चों का पुनर्वास किया जाना था। गोद लेने के विभिन्न चरणों में देरी हुई थी जैसे कि बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट और विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) द्वारा गोद लेने के लिए बच्चों को स्वतंत्र घोषित करने वाले प्रमाण पत्र अपलोड करना। इसके अलावा,

अदालतों के समक्ष गोद लेने की याचिकाओं को दाखिल करने और भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट अपलोड करने में भी महीनों की देरी हुई थी। बच्चों को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने में देरी से उनके गोद लेने की संभावना कम हो गई। अधिकांश मामलों में एसएए द्वारा दत्तक-ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई जिसके कारण इस आश्वासन का अभाव था कि गोद लिए गए बच्चों की देखभाल की जा रही है। रा.रा.क्षे.दि.स. ने 'प्रायोजन' और 'पालन देखभाल' योजनाओं को लागू नहीं किया जिसके कारण पारिवारिक वातावरण में बच्चों की वृद्धि और विकास संबंधित जानकारी हासिल नहीं की जा सकी, खासकर उन मामलों में जहां परिवार/रिश्तेदार और अन्य व्यक्ति बच्चों की मदद करने के इच्छुक थे लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ऐसा करने में असमर्थ थे।

इस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं मॉडल नियम, 2016 और संशोधित एकीकृत बाल संरक्षण योजना, 2014 के अनुसार विशेष सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकारों और हकदारियों को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए।

हम क्या सलाह देते हैं?

1. बाल संरक्षण योजनाओं को लागू करने वाले संस्थानों की समीक्षा, सुधार और निगरानी के लिए नियमित बैठकें आयोजित करें और उनका पालन सुनिश्चित करें। चूककर्ताओं की ज़िम्मेदारी तय की जाए।
2. ज़िला बाल संरक्षण इकाईयों में पर्याप्त स्टाफ को अपेक्षित प्रशिक्षण देकर असुरक्षित बच्चों के लिए की जाने वाली सेवाओं में सुधार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
3. देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पहचान करने तथा ऐसे बच्चों के ज़िला-वार डाटाबेस को बनाए रखने के लिए सर्वेक्षण करें।
4. वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही सीसीआई और अन्य संस्थानों को निधियाँ जारी करें ताकि वे ठीक से काम कर सकें।
5. बाल कल्याण समितियों अपने सामने लाए गए बच्चों की तस्वीरें फेशियल रिकॉग्नीशन सॉफ्टवेयर में अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि लापता बच्चों के विवरण के साथ मिलान किया जा सके।

6. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर सीसीआई के पंजीकरण/नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा करें।

7. सीसीआई में पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराएं और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि वे बच्चों की देखभाल के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

8. सभी बाल देखभाल संस्थानों में भौतिक बुनियादी ढांचे, कपड़े और बिस्तर, पोषण और आहार तथा शिक्षा के मामले में देखभाल के न्यूनतम मानकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें और उनमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।

9. केंद्रीकृत समन्वय के लिए ट्रैक चाइल्ड पोर्टल में समयबद्ध तरीके से पूरा डेटा अपलोड किया जाए।

10. ज़िला बाल संरक्षण इकाई को बाल देखभाल संस्थाओं का नियमित निगरानी एवं निरीक्षण करना चाहिए।

11. विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां, संभावित माता-पिता की अध्ययन प्रतिवेदन और गोद लेने के लिए बच्चों के विवरण सहित आवश्यक जानकारी समय पर प्रासंगिक वेब पोर्टल में अपलोड करें और बिना किसी विलम्ब के न्यायालय के समक्ष गोद लेने की याचिका दायर करें। विलम्ब के लिए ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

12. प्रायोजन योजना और पालक देखभाल योजना को प्रभावी, कुशल और समय पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। गोद लिए गए बच्चों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई निश्चित समय के अनुसार की जानी चाहिए।